## स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

## मांग संख्या 49

## स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

क. वसूलियाँ को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

		1	•		i				•		ī		(3	कराड़ रुपए)
			वार	<b>स्तविक 2013-2014</b>		7	बजट 2014-2015		सं	शोधित 2014-2015		3	जट 2015-2016	
		मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
		राजस्व	569.62	304.46	874.08	726.00	291.67	1017.67	610.00	322.00	932.00	713.17	305.00	1018.17
		पूंजी												
		जोड़	569.62	304.46	874.08	726.00	291.67	1017.67	610.00	322.00	932.00	713.17	305.00	1018.17
1.	सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	2251	0.14	5.21	5.35	5.00	10.00	15.00	1.50	6.82	8.32	2.00	10.00	12.00
2.	राज्यों में मॉडल ग्रामीण अनुसंधान ईकाइयां	2210				18.00		18.00	11.00		11.00	9.00		9.00
3.	मूल, अनुप्रयुक्त और उपचारिक अनुसंधान का	2210	48.65	•••	48.65	72.00	•••	72.00	28.50		28.50	40.50		40.50
	संवर्धन,समन्वय और विकास													
4.	अनुसंधान गवर्नेंस मुद्दों संबंधी संवर्धन और मार्गदर्शन	2210				3.00		3.00	0.40		0.40	2.00		2.00
5.	चिकित्सा, जैव चिकित्सा और स्वास्थ्य	2210	2.60	•••	2.60	26.00	•••	26.00	23.00		23.00	28.30		28.30
	अनुसंधान में अंतर क्षेत्रीय समन्वयन													
6.	चिकित्सा और स्वास्थ्य में अनुसंधान संबंधी उन्नत प्रशिक्षण	2210	1.51		1.51	17.00		17.00	5.00		5.00	7.20		7.20
7.	जनसञ्जासन चिकित्सा और स्वास्थ्य में अनुसंधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	2210	0.17		0.17	2.00		2.00	0.60		0.60	1.00		1.00
8.	महामारी, प्राकृतिक आपदा से संबंधित विषय	2210	34.00	•••	34.00	31.00	•••	31.00	25.00	•••	25.00	40.50		40.50
	और इनके फैलाव को रोकने के लिए साधनों का विकास													
9.	औषधि और स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्रों में वैज्ञानिक समितियां और संघों, धर्मार्थ और	2210				1.00		1.00			•••			
	धार्मिक विन्यास संबंधी विषय													
10.	सरकारी संगठनों और संस्थानों के साथ स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में समन्वयन	2210	2.35		2.35	1.00		1.00						
11.	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई	2210	480.20	299.25	779.45	477.40	281.67	759.07	454.00	315.18	769.18	511.35	295.00	806.35
	दिल्ली													
12.	पूर्वात्तर क्षेत्र और सिक्किम की परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान	2552				72.60		72.60	61.00		61.00	71.32		71.32
कुल जोड़	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		560.60	204.46	074.00	726 00	201 67	1017.67	610.00	222.00	022.00	710 17	205.00	1018.17
3.11 4119			<i>569.62</i>	<i>304.46</i>	874.08	726.00	291.67	1017.67	610.00	322.00	932.00	713.17	305.00	1016.17

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	<b>बजट</b> सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. योजना परिव्यय													
1.    सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	22251	0.14		0.14	5.00		5.00	1.50	•••	1.50	2.00		2.00
2. चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	22210	569.48		569.48	648.40		648.40	547.50	•••	547.50	639.85		639.85
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552				72.60		72.60	61.00	•••	61.00	71.32		71.32
जोड़		569.62		569.62	726.00		726.00	610.00		610.00	713.17		713.17

- 1. **सचिवालय सामाजिक सेवाएं:** यह स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिवालय के लिए खर्चों का प्रावधान करता है।
- 2. **राज्यों में मॉडल ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान एकक:** राज्यों में मॉडल ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान एकक की स्थापना हेतु प्रावधान किया गया है |
- 3. मूलभूत प्रायोगिक तथा नैदानिक अनुसंधान का उन्नयन, समन्वय एवं विकास: यह चिकित्सा, स्वास्थ्य, जैव चिकित्सा एवं चिकित्सा व्यवसाय से सम्बन्धित क्षेत्रों में नैदानिक परीक्षणों एवं प्रचालन अनुसंधान सहित मूलभूत/प्रायोगिक तथा नैदानिक अनुसंधान के उन्नयन एवं समन्वय के लिए प्रावधान करता है।
- 4. **अनुसंधान संचालन मुद्दों पर प्रोत्साहन एवं दिशानिर्देशन:** यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, आयुष विभाग एवं स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग को शामिल करते हुए एक त्रिपक्षीय अनुसंधान नीति तथा कार्यान्वयन/समन्वय तंत्र की स्थापना के लिए प्रावधान करता है।
- 5. चिकित्सा, जैव-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अनुसंधान में अंतरक्षेत्रीय समन्वय: यह योजना तकनीकी प्रबंधन, नवोन्वेषण हेतु शुरूआती सहयोग, प्रोत्साहन निधि, भारत में/के बाहर परामर्श प्रोत्साहन कार्यक्रम, इत्यादि जैसे क्षेत्रों को कवर करती है।
- 6. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के अनुसंधान में उच्च प्रशिक्षण: इस योजना में एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान प्रणाली (एनएचआरएस) के विकास के लिए कदम उठाने की परिकल्पना की गई है जिसके अंतर्गत सभी मंत्रालयों एवं क्षेत्रों की भिन्न-भिन्न अनुसंधान एजेंसियां एक साथ मिलकर परस्पर अनुसंधान एवं समन्वय के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का पता लगाएंगी ताकि द्विरावृत्ति, विखण्डन, ज्ञान में निरर्थकता एवं कमी से बचा जा सके।
- 7. **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अनुसंधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** यह योजना अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों से संबंधित कार्यों सिहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अनुसंधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुगम बनाती है।
- 8. **महामारियों, प्राकृतिक आपदाओं एवं उनके प्रकोपों की रोकथाम के उपायों का विकास:** इस योजना में संक्रामंक रोग के प्रकोप अथवा प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं से निपटने के लिए त्वरित कार्रवाई करने हेतु सचल निधियाँ स्थापित करने की बात कही गई है।

11. **भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली:** यह जैव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अनुसंधान को प्रोत्साहन देने, समन्वय एवं प्रतिपादन का कार्य करने वाला देश का शीर्ष निकाय है। केन्द्र सरकार स्वास्थ्य, पोषण, असंचारी रोगों में अनुसंधान तथा मूलभूत अनुसंधान के लिए अनुरक्षण अनुदान प्रदान करती है। यह परिषद जनजाति स्वास्थ्य, पारम्परिक चिकित्सा के अनुसंधान एवं सूचना के प्रसार तथा प्रकाशन कार्य में भी लगी हुई है।